प्र. सं. 06/2017 Online No. 2017/00004

उदयराम / मनोहरलाल व अन्य

9/12/22 पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 23/12/22 को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

23/12/22 पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से ब्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 13/1/23 को पेश हो।

आदेश से रीडर

13/1/23 पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 20/1/23 को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

20/1/23 पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 23/1/23 को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

23/1/23 पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित प्रतिवादीगण 1 व 2 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही पूर्व में हो चुकी है। वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 का आंशिक स्वीकार किया जाता है प्रकरण में निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया निर्णय संलग्न है प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम किया जावे

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाडा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी डॉ0 पूजा सक्सेना , आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 06/2017 राजस्व वाद

1– श्री उदयराम पिता बद्रीलाल माली निवासी कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा।

––वादी

बनाम

1– श्री मनोहरलाल पिता हीरालाल सोनी निवासी कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
2– श्री मांगीलाल पिता बंशीलाल सुथार निवासी कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
3– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।
4– नायब तहसीलदार कारोईकलां
5– भू अभिलेख निरीक्षक कारोईकलां
6– पटवारी हल्का कारोईकलां।

––प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188, आर.टी.एक्ट

उपस्थितः–
1. श्री मांगीलाल सैन, अधिवक्ता–वादी
2. प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही

:: निर्णय ::

दिनांक 23.01.2023

संक्षिप्त में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, आरटीए स्थायी निषेधाज्ञा बाबत प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर अंकित किया है कि ग्राम कारोईकलां प0ह0 कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 1548/2 रकबा 0.04 बिस्वा एवं आराजी संख्या 1548/1 रकबा 0.04 बिस्वा भूमि स्थित है। वादपत्र की चरण संख्या 01 के पैरा ,,क,, में वर्णित कृषि भूमि आराजी संख्या 1548/2 रकबा 0.04 बिस्वा वादी एवं वादी के भाईयो के खातेदारी अधिकार की होकर कब्जे काश्त की है जिस पर वादी वर्षो से कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। वादपत्र की चरण संख्या 02 के पैरा ,,ख,, में वर्णित कृषि आराजी संख्या 1548/1 रकबा 0.04 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज है किन्तु मौके पर प्रतिवादीगण का कोई कब्जा नही है। प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज भूमि का हिस्सा सडक में चली जाने से प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी की भूमि आराजी संख्या 1548/2 रकबा 0.04 बिस्वा पर जबरन कब्जा करना चाह रहे है जिसका उन्हे कोई हक अधिकार नही है। प्रतिवादीगण की भूमि यदि सडक में चली गयी तो सरकार या ग्राम पंचायत में मुआवजा प्राप्त करने की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है किन्तु प्रतिवादीगण को यह ज्ञात हो गया है कि उनकी खाते में दर्ज भूमि मौके पर नही है, सडक में चली गयी जिससे वादी के कब्जे काश्त की भूमि पर अवैध रूप से पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके आधार पर जबरन कब्जा कर वादी को बेदखल कर मौके पर भूखण्ड बनाकर वादी की भूमि पर कब्जा करना चाह रहे है। वादी का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी जारी कराने की प्रार्थना की गयी है।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण के नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। वादी की और से साक्ष्य में शपथपत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी संवत 2069–2072 की खाता संख्या 22 एवं खाता 789 की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श–1 है।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादी के वादपत्र पर बहस सुनी गई वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में वादपत्र के बिन्दु संख्या 01 से लगायत 5 को दोहराते हुए ग्राम कारोईकलां के आराजी संख्या 1548/2 रकबा 0.04 बिस्वा व 1548/1 रकबा 0.04 बिस्वा भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान कराने की प्रार्थना की गयी है।

वादी के वादपत्र एवं साक्ष्य शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 का अध्ययन किया गया, वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन् किया गया वादग्रस्त ग्राम कारोईकलां के आराजी नं0 1548/2 रकबा 0.04 बिस्वा भूमि वादी की संयुक्त खातेदारी दर्ज रेकार्ड है एवं आराजी नं0 1548/1 रकबा 0.04 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 02 के नाम 1/2 हिस्से से खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। वादी आराजी नम्बर 1548/2 रकबा 0.04 बिस्वा भूमि का संयुक्त खातेदार है इस आराजी नम्बर के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री विरूद्व प्रतिवादीगण जारी कराने का अधिकारी है, जबकि आराजी नं0 1548/1 रकबा 0.04 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम दर्ज होने से इस आराजी के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आरटीए का आंशिक स्वीकार योग्य ठहरता है अतःएवं

:: आदेश ::

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आरटीए का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम कारोईकलां प0ह0 कारोईकलां तहसील भीलवाडा के आराजी नं0 1548/2 रकबा 0.04 बिस्वा भूमि जो वादी की संयुक्त खातेदारी दर्ज है इस आराजी नम्बर 1548/2 रकबा 0.04 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 वादी के संयुक्त कब्जे व हिस्से में बाधा व रूकावट उत्पन्न नही करे और ना ही किसी अन्य से करावे। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे तदनुसार डिक्री जारी हो।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–डॉ0 पूजा सक्सेना, आर.ए.एस.

उनवान

1– श्री उदयराम पिता बद्रीलाल माली निवासी कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा।

––वादी

बनाम

1– श्री मनोहरलाल पिता हीरालाल सोनी निवासी कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
2– श्री मांगीलाल पिता बंशीलाल सुथार निवासी कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
3– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।
4– नायब तहसीलदार कारोईकलां
5– भू अभिलेख निरीक्षक कारोईकलां
6– पटवारी हल्का कारोईकलां।

––प्रतिवादीगण

प्रकरण संख्या 06 / 2017 रा0वा0

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188, आर.टी.एक्ट

वादी की और से अधिवक्ता श्री मांगीलाल सैन उपस्थित व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अनुपस्थित – में इस वाद के आज दिनांक 23.01.2023 को डॉ0 पूजा सक्सेना, आर.ए.एस. न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि और इस वाद के मामले में लेखो प्रतिशत रूपये की राशि आज दिनांक से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत को दी जावे।

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आरटीए का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम कारोईकलां प0ह0 कारोईकलां तहसील भीलवाडा के आराजी नं0 1548 / 2 रकबा 0.04 बिस्वा भूमि जो वादी की संयुक्त खातेदारी दर्ज है इस आराजी नम्बर 1548 / 2 रकबा 0.04 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 वादी के संयुक्त कब्जे व हिस्से में बाधा व रूकावट उत्पन्न नही करे और ना ही किसी अन्य से करावे। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आज दिनांक 23.01.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
भीलवाडा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा